उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए थे मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच के आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जनचौक ब्यूरो

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने के मामले में पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया और साथ ही उमेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों का स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को सुनाये गये सुरक्षित फैसले में जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

मामले के अनुसार सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने 31 जुलाई को देहरादून थाने में उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप था कि उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई की प्रो. हरेंद्र सिंह रावत व उनकी पत्नी डॉ. सविता रावत के खाते में नोटबन्दी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान ने पैसे जमा किए और यह पैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को देने को कहा। इस वीडियो में डॉ. सविता रावत को मुख्यमंत्री की पत्नी की सगी बहन बताया गया है। रिपोर्टकर्ता के अनुसार ये सभी तथ्य असत्य हैं और उमेश शर्मा ने बैंक के कागजात जालसाज़ी तरीके से बनाये हैं। उसने उनके बैंक खातों की सूचना गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की है। इस बीच सरकार ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया था।

उमेश शर्मा ने इसके विरुद्ध उत्तराखंड हॉईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य ने पैरवी की थी। उनकी दलील थी कि नोटबन्दी के दौरान हुए लेन देन के मामले में उमेश शर्मा के खिलाफ झारखंड में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वे पहले से ही जमानत पर हैं। इसलिये एक ही मुकदमे के लिये दो बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती । पत्रकार उमेश कुमार व अन्य के खिलाफ देहरादून के अमृतेश चौहान द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में भी, सोशल मीडिया में, याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बेशक, उन्होंने आरोप लगाया कि उस राशि को सूचनाकर्ता और उनके रिश्तेदारों के खातों में मुख्यमंत्री रावत को रिश्वत के रूप में जमा किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता स्वीकार करते हैं कि यह सच नहीं है। लेकिन, अन्य खाते भी थे। जमा पर्ची हैं जो सुपाठ्य हैं, उनकी जांच नहीं की गई है। क्या याचिकाकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री रावत द्वारा कथित रूप से अमृतेश सिंह चौहान को दिए गए विभिन्न खातों में पैसे जमा करने के संबंध में दावा सही है? किसी ने इसकी जांच नहीं की।

एकल पीठ ने कहा कि राज्य के अनुसार, जब सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता ने आरोपों को लगाया, तो लोगों ने बहुत गंदी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने सूचनाकर्ता को नुकसान पहुंचाया। राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इन प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया है। राज्य के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता द्वारा की गई इन टिप्पणियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने के इरादे से काम किया था। इन टिप्पणियों को देखने से पता चलता है कि जिन लोगों ने टिप्पणी की, वे मामलों की स्थिति से बहुत दुखी थे, वे चाहते थे कि भ्रष्ट राज नेताओं को हटाया जाए।क्या लोगों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं? यदि ऐसा है, तो यह देश के संवैधानिक शासन के इतिहास में सबसे

बुरे दिनों में से एक होगा, जहां कानून का शासन कायम है।

लोगों को इस धारणा के तहत नहीं रहना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि शुद्ध नहीं हैं। अगर कोई झूठे आरोप लगाता है जो कानून में कार्रवाई योग्य है, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। अगर उच्च पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को समाज में बिना पूछताछ और मंजूरी के रखा जाता है, तो यह न तो समाज को आगे बढ़ने में मदद करेगा और न ही राज्य कुशलता से कार्य करेगा।

एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश, रिकॉर्ड की गई बातचीत, बैंक जमा रसीदें दी हैं और यह भी आरोप लगाया है कि अमृतेश सिंह चौहान को कुछ जमीन दी गई थी, लेकिन इन मुद्दों की कभी जांच नहीं की गई।

एकल पीठ ने कहा कि तत्काल एफआईआर प्राथमिकी संख्या 100 /2018 में लगाए गए आरोपों की जांच की जा सकती है क्योंकि वे कथित रूप से उत्तराखंड राज्य में गड़बड़ी पैदा करने के लिए बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका दूसरा पहलू उजागर किया है और कहा है कि पैसे विभिन्न बैंक खातों में जमा किए गए थे, जो नम्बर मुख्यमंत्री रावत द्वारा अमृतेश सिंह चौहान को उपलब्ध कराये गये थे ।

एकल पीठ ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार के संबंध में उन आरोपों की कोई जाँच नहीं की है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए थे, विशेष रूप से, उन आरोपों को, जिन्हें उन्होंने याचिका के पैरा 8 में लगाया है। एफआईआर में सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे एसएलपी नंबर 4189/2020 में चुनौती दी गई थी। एसएलपी को खारिज कर दिया गया था और याची को जाँच में सहयोग करने को कहा गया था । आरोपों की गंभीरता केवल सूचनाकर्ता से संबंधित झूठ के संबंध में नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों की भी गंभीरता है।

एकल पीठ ने कहा कि स्थापित कानून के मद्देनजर, एकलपीठ अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को प्राप्त क्षेत्राधिकार दायरे जांच के याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पैरा 8 में लगाये गये आरोपों की जाँच का आदेश दे सकता है। एकल पीठ का विचार है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सत्य को सामने लाना उचित होगा। यह राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो जाएं। इसलिए, याचिका की अनुमति देते समय, यह न्यायालय जांच के लिए भी प्रस्ताव करता है।

एकल पीठ ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह एकलपीठ का विचार है कि सीबीआई को तत्काल याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मामले की जांच करनी चाहिए।

एकल पीठ ने तदनुसार पुलिस अधीक्षक, सीबीआई देहरादून को निर्देशित किया है कि याचिका 1187/2020 के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें। और कानून के अनुसार इसकी तत्परता से साथ जाँच करें। एकल पीठ ने कहा कि इस मामले की पूरी पेपर बुक पुलिस अधीक्षक, सीबीआई देहरादून ईमेल और हार्डकापी दोनों के माध्यम से दो दिन में भेजी जाए। याचिकाकर्ता की तीनों याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस बीच सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

5 नवंबर को देशव्यापी रोड ब्लॉक और 26-27 नवंबर को किसान करेंगे दिल्ली पर चढ़ाई!

नई दिल्ली। देश के किसानों ने आगामी 26-27 नवंबर को दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई 500 से ज्यादा संगठनों के इस निकाय ने 5 नवंबर को देशव्यापी रोड ब्लॉक करने का भी फैसला किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि अब केंद्र द्वारा पारित किसानों के तीनों कानूनों के खिलाफ लड़ाई आर-पार की होगी। आज इस समिति की वर्किंग ग्रुप की बैठक थी।

आज गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई बैठक में निम्न घोषणाएं हुईं:

1. देश भर में किसान विरोधी, जनविरोधी तीन खेती के कानून तथा बिजली बिल 2020 के विरुद्ध एक व्यापक संयुक्त मंच का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व एक समन्वय करेगा। इसमें वीएम सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह, राजू शेट्टी, योगेन्द्र यादव रहेंगे। यह समिति निम्न दोनों कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

1(ए) 5 नवम्बर को अखिल भारतीय रोड ब्लॉक का आयोजन किया जाएगा।

1(बी) 26-27 नवम्बर 2020 को 'दिल्ली चलो' का आयोजन होगा।

2. यह संघर्ष 3 खेती के कानून तथा बिजली बिल, 2020 पर केन्द्रित रहेगा।

3. इस विरोध के लिए राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर बेहद व्यापक जन गोलबंदियां की जाएंगी तथा इन मांगों पर आंदोलन विकसित किया जाएगा।

4. अखिल भारतीय स्तर पर यह आंदोलन सरकारी कार्यालयों पर, केन्द्र सरकार समेत तथा भाजपा व उनके सहयोगी दलों के विरुद्ध तथा कॉरपोरेट के खिलाफ लक्षित होगा।

5.बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब में सवारी गाड़ियों के न चलने की स्थिति में माल गाड़ियों के संचालन को रोकने की कड़ी निन्दा की गयी। संगठन ने कहा कि यह जनता के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग का तरीका है और किसी जनवादी सरकार के लिए शर्मनाक काम है।

अपील

सहयोगी साथियों का धन्यवाद देते हुए मजदूर मोर्चा आपको सूचित करना चाहता है कि कोरोना और लॉकडाउन काल में एक तरफ जहाँ फरीदाबाद के लगभग सभी छोटे अखबार बंद हो गए थे वहीं मजदूर मोर्चा आप सभी के सहयोग एवं पाठकों की मांग और उससे उपजे हौसले के कारण सफलतापूर्वक निष्पक्ष व निडर खबरें प्रकाशित करते रहने में सफल रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं पूरा भारत आज भयंकर आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है जिससे मज़दूर मोर्चा भी बच नहीं पाया है। इसलिये मज़दूर मोर्चा को आप सभी की मदद की जरूरत है। कृपया अपना मासिक या एकमुश्त आर्थिक सहयोग निम्नलिखित खाते में भेजें ताकि अखबार नियमित निकलता रहे। खाते में पैसा भेजने वालों से निवेदन है कि वे मजदूर मोर्चा को एसएमएस के जरिये सूचित भी कर दें।

नाम-मज़दूर मोर्चा
खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Bank Name : Union Bank of India
Branch : Sector-7, Faridabad - 121006